न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) प्रथम, हापुड़।

मूलवाद संख्या 373/2014

अजय कुमार राव बनाम दुष्यन्त राव आदि

UPHP050002802014

17.02.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 133 क नियत है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थनापत्र 133 क के निस्तारण पर बल दिया गया है। उभय पक्षों को उक्त प्रार्थनापत्रों पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 133 कः–

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र 133 क अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सहपठित धारा 151 सी०पी०सी० मय शपथपत्र 134 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से अपना प्रतिवादपत्र/काउन्टर क्लेम कागज सं० 31क दाखिल किया गया है, जिसके अंत में परिशिष्ट 2 में दिये गये विवादित कृषि भूमि के विवरण में क्रमांक 2 व 3 पर ग्राम भमैड़ा परगना, तहसील व जिला हापुड़ की कृषि भूमि का भी दिया गया है, क्योंकि ग्राम भमैड़ा इस समय चकबन्दी की कार्यवाही के अन्तर्गत है। भमैड़ा की भूमि के संबंध में निर्णय चकबन्दी न्यायालय को ही करना है। इसलिये कागज सं० 31क के परिशिष्ट 2 में क्रमांक 2 व 3 को काटा जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम नूरपुर परगना, तहसील व जिला हापुड़ में स्थित खाता सं० 204 वर्तमान खाता सं० 106 एवं खाता सं० 205 वर्तमान खाता सं० 107 की भूमि से सम्बन्धित नम्बरान की भूमि का विवरण कागज सं० 31क में लिखने से छूट गया है। जिसमें संशोधन किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। परिशिष्ट 2 के क्रमांक 1 में खसरा सं० 518 का क्षेत्रफल 0.0040 है० के स्थान पर 0.0004 है० भूलवश तहरीर हो गया है। परिशिष्ट 2 के क्रमांक 1 की प्रथम पंक्ति में 0.0130 है० के स्थान पर 0.130 भूलवश तहरीर हो गया है तथा कागज सं० 107 स्थित ग्राम नूरपुर को कागज सं० 31क में भूलवश व त्रुटिवश अंकित नहीं हो पाया, जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, ताकि वाद का निस्तारण न्यायपूर्ण व उचितपूर्ण तरीके से किया जा सके। अतः प्रतिवादी को प्रतिवादपत्र/ काउन्टर क्लेम कागज सं० 31क के अन्त में परिशिष्ट 2 में वांछित संशोधन किये जाने की अनुमति के साथ प्रस्तुत किया गया है।

इनके विपरीत प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र पर आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र गलत व आधारहीन कथनों पर आधारित है तथा हर दशा में खण्डित होने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र में जिन तथ्यों के सम्बन्ध में संशोधन की मांग की गयी है, वे तथ्य प्रतिवादपत्र/ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करते समय प्रतिवादी की जानकारी में थे। प्रतिवादपत्र में ग्राम भमैड़ा की कृषि भूमि के सम्बन्ध में चकबन्दी कार्यवाही को आधार बनाया गया है। उक्त चकबन्दी कार्यवाही करीब चार वर्षो से चल रही है। प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर देरी की जा रही है। उभय पक्षों का मुख्य साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य लगभग पूर्ण हो चुका है। उक्त स्थिति में वाद की अंतिम स्टेज पर काऊन्टर क्लेम में संशोधन का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रश्नगत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक आज्ञप्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा के आशय से संस्थित किया गया है, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टरक्लेम प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत वाद की विवादित सम्पत्ति पर अपने स्वत्व को क्लेम किया गया है।प्रतिवादी/ काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र के माध्यम से विवादित सम्पत्ति के अद्यतन/ वर्तमान खाता सं० को प्रतिवादपत्र/ काउन्टरक्लेम में संशोधित किये जाने की याचना की गयी है। इस सम्बन्ध में जहाँ तक वादी की मुख्य आपत्ति यह है कि काउन्टरक्लेम कर्ता द्वारा जिन तथ्यों को जरिये संशोधन प्रतिवादपत्र/ काउन्टरक्लेम में संशोधित किये जाने की याचना की जा रहा है, वह तथ्य इनकी जानकारी में प्रतिवादपत्र/ काउन्टरक्लेम प्रस्तुत किये जाने के पूर्व से रहे हैं। इसके अतिरिक्त वाद में उभय पक्षों का साक्ष्य समाप्त हो चुका है और वाद के अन्तिम स्टेज पर काउन्टरक्लेम में संशोधन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी / काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा चाहे गये संशोधन के सम्बन्ध में वादी द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र 63 क के माध्यम से उक्त तथ्यों का समावेश वादपत्र में पूर्व में ही कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पत्रावली शेष साक्ष्य वादी हेतु नियत है अर्थात वाद में अभी उभय पक्षों का साक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वाँछित संशोधन उभय पक्षों के मध्य वाद के अंतिम निस्तारण हेतु आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन से प्रतिवादपत्र/ काउन्टरक्लेम की प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और ना ही प्रतिवादी द्वारा लिये गये बचाव कर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह सही है कि संशोधनप्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में प्रतिवादी द्वारा घोर विलम्बता कारित की गयी है, किन्तु यह विलम्बता ऐसी नहीं है, जिससे प्रतिवादी को न्याय से वंछित किया जाये। इसकी

प्रतिपूर्ति वादी को हर्जे के माध्यम से करायी जा सकती है। अतः प्रार्थनापत्र 133 क हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 133 क 1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तदनुसार आपत्ति 135 ग निस्तारित की जाती है। प्रतिवादी का आदेशित किया जाता है कि हर्जे की अदायगी अविलम्ब कर प्रार्थनापत्र 133 क के प्रकाश में वाँछित संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण/शेष साक्ष्य वादी दिनांक 05.04.2021 को पेश हो।

(लवली जायसवाल)
J.O.Code–U.P.1783
सिविल जज (सी०डि०) प्रथम,
हापुड़।